न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 29/प्रा.पत्र/2024	30.01.2024	05.02.2025
(GCMS No. 2024/35)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. गुलाब बाई बेवा नाथू जाति बैरवा (मृतक निवासी गेण्डोलीखुर्द) जरिये कायम मुकाम – प्रेमबाई पुत्री नाथू जाति बैरवा
2. प्रेमबाई पुत्री नाथू पत्नी रमेश जाति बैरवा निवासी गेण्डोलीखुर्द हाल सुभाष नगर, लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी

– अप्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीया की ओर से श्री राजकुमार माथुर, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी नाथू आ. धन्ना बैरवा को किये गये भूमि आवंटन ख.सं. 923/2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से तहसील रायथल के क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 29/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/35 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी एवं वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थिया द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि उक्त उनवान के प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में पूर्व में भी तहसीलदार केशोराय पाटन द्वारा एक कार्यवाही अन्तर्गत नियम 14(4) पेश की गई थी, उक्त प्रकरण संख्या 36/प्रा0पत्र/2007 में अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (सीलिंग), बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 24.09.2007 को खारिज किया जा चुका है तथा आवंटन बहाल रहा है। आवंटन समिति द्वारा अप्रार्थिया के पिता नाथू को किया गया आवंटन नियमानुसार था, तब से ही अप्रार्थिया का परिवार उक्त भूमि पर कृषि करता आ रहा है, जो समस्त ग्रामवासियों की जानकारी में है। ऐसी सूरत में अप्रार्थिया के विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त कार्यवाही को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि नाथू आ. धन्ना जाति बैरवा निवासी गेण्डोलीखुर्द को दिनांक 10.11.1975 को भूमि खसरा संख्या 923/2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 440, 441, 444, 453, 454 कुल किता 5 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर पर अप्रार्थिया गुलाबबाई बेवा नाथू एवं प्रेमबाई पुत्री नाथू जाति बैरवा निवासी गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर के अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि ''पड़त'' पड़ी हुई है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। अभिभाषक अप्रार्थिया द्वारा दौराने बहस उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थिया की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों से आवंटी एवं वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होना प्रकट होता है। प्रकरण में आवंटी एवं वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

जहां तक न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2007 का प्रश्न है तो तहसीलदार के.पाटन द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत दायर प्रकरण संख्या 36/प्रार्थना पत्र/2007 बउनवान सरकार बनाम नाथू पिता धन्ना बैरवा निवासी गेण्डोलीखुर्द बाद सुनवाई मृतक अप्रार्थी के विरूद्ध पेश होना पाया जाने से चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया था। हस्तगत कार्यवाही मृतक आवंटी नाथू के वारिसान के विरूद्ध दायर की गई है। जिस पर यह न्यायालय बाद सुनवाई उभय पक्षकारान अब गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी नाथू आ. धन्ना जाति बैरवा निवासी गेण्डोलीखुर्द को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 923/2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 440, 441, 444, 453, 454 कुल किता 5 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर) वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया दिनांक 10.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी